कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– ..... दिनांकः– .....

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– वन विभागीय पत्रांक 3171 दिनांक 19.08.2019, पत्रांक 2245 दिनांक 05.08.2020 एवं पत्रांक 827 दिनांक 05.03.2020,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक FP/JH/MIN/20419/2016/3310 दिनांक 24.07.2019 द्वारा संबंधित मामले को REC के 29वी बैठक दिनांक 17.09.2019 में रखा गया था एवं कमिटी द्वारा निम्न Observation के साथ Reconsideration के लिये विभाग को लौटाई गई है :–

"Since 26 stone quarry leases in Hazaribagh district and 77 stone quarry leases in adjacent Koderma district have been accorded Environmental Clearance, it is necessary to take into account the full facts in respect of status of these numerous stone quarries, and the District Survey Report (DSR) before considering any new proposal for stone quarries in forest lands in the context of forest conservation and sustainable mining. The committee desired that the details and full facts in this regard should be obtained from the concerned departments and authorities and the proposal may be considered by the committee thereafter."

REC के उपर्युक्त Observation के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण के प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण हेतु निदेश प्राप्त हुआ है। इस कम में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 2488 दिनांक 31.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :–

जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक 741 दिनांक 30.09.2020 द्वारा प्राप्त District Survey Report (DSR) 2020 के अनुसार हजारीबाग जिला अन्तर्गत वर्तमान में कुल धारित खनन पट्टो की संख्या 20 (16–चालू एवं 4–बन्द) है। इसी प्रकार जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 774 दिनांक 23.11.2020 के अनुसार कोडरमा जिला अन्तर्गत कुल 47 पत्थर खनन पट्टा स्वीकृत है। अतः इस प्रकार दोनो जिलों में कुल खनन पट्टा की संख्या 67 है। साथ ही प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के निरीक्षण दल के निरीक्षण के समय हजारीबाग जिला में खनन पट्टों की संख्या 26 एवं कोडरमा जिला में 77 कुल 103 थी।

अतः एक वर्ष के अन्तराल ही दोनों जिला में (103–67) 36 स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या कम हो गयी है। बन्द हुए खनन पट्टा मुख्य रूप से हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी, कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी एवं गौतमबुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco sensitive zone में स्थापित थे एवं Eco sensitive zone की अधिसूचना के बाद इनका खनन पट्टा अस्वीकृत किया है।

साथ ही साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने यह भी प्रतिवेदित किया गया है मौजा करमा के अधिसूचित असीमांकित वनभूमि प्लॉट संख्या 771 (अंश) एवं 772 (अंश) पर भारतीय वन अधिनियम के उंल्लंघन के आरोप में अब तक अवैध पत्थर खनन के मामलें में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत् वन वाद संख्या 108/2016, 109/2016, 388/2016, 609/2016, 1412/2019, 1413/2019, 1415/2019, 1196/2019, 1197/2019, 1198/2019, 1750/2019, 1943/2019 1945/2019, 1946/2019, 2210/2020, 2012/2020 दर्ज किया गया है एवं अवैध खनन कार्य में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं यथा हैन्ड ड्रिलरर मशीन, पोकलेन मशीन, लोहे का सब्बल, घाना इत्यादि को जब्त किया गया है, वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही सूचित किया है कि इस अवैध खनन कार्य में आवेदक संस्थान की कोई संलिप्तता नहीं है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग ने उल्लेख किया है कि यह स्थल हजारीबाग जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोडरमा जिला के सीमा पर घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है, जो पूर्व से भी अवैध खनन से प्रभावित है एवं आवेदित स्थल पर वृक्षों की संख्या नगन्य है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुसंशा की गई है।

विषयक मामलें में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग ने यह भी अवगत कराया है कि प्रस्ताव को स्टेज–1 के स्वीकृति हेतु ततकालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया था। "The proposed area, Karma Stone Mines involves forest land 14.17 ha. which lies in village Karma, Post-Chouparan, District-Hazaribagh. The site was inspected on 15.02.2017. In the proposed diversion, 13.94 ha shall be used for mining and allied activities whereas 0.23 ha. shall be used for proposed approach road within forest land. The proposed land consists of 4.3 ha. of notified demarcated forest and 9.87 ha. of notified un demarcated forest. During inspection it was found that in the surrounding area, just adjacent to the proposed land diversion proposal, illegal mining activities had taken place. The report received in the office indicates that some of the leases have been sanctioned on notified un demarcated forest against the provisions of Forest (Conservation) Act 1980. Illegal mining has also taken place on such notified un demarcated forest where no mining lease had been granted.

The proposed area is almost devoid of vegetation and as a consequence soil erosion as well as gully formation has taken place. On the northern side of proposed land diversion proposal small water body of about 1 acre area was found and special care should be taken, so that the catchment area is not disturbed. For this purpose, at least 15 meter safety zone should be kept on the northern side of proposed lease and also all along the proposed lease hold area, safety zone of 7.5 meter should be left; and adequate indigenous species should be planted at a spacing of 2.5m x 2.5m with proper fencing and their protection should be ensured during the life of lease.

It was felt that systematic and lawful mining and regular visit of field staff in the proposed lease hold area, will be helpful in controlling the mince of illegal mining in the surrounding forest areas. In view of the facts stated in the aforesaid paragraphs, I agree with the recommendation of the Divisional Forest Officer, Hazaribag West Forest Division and the proposal is recommended for consideration with the conditions mentioned in the aforesaid paras."

उपरोक्त विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 1365 दिनांक 22.05.2017 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया था। प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक FP/JH/MIN/20419/2016/3310 दिनांक 24.07.2019 द्वारा Observation के साथ Reconsideration हेतु दिये गये निर्देश के आलोक में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के पत्रांक 6151 दिनांक 24.10.2019 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी हजारीबाग के प्रतिवेदन के अनुसार हजारीबाग जिले में अप्रैल 2018 तक कुल 22 माईन्स operative होने एवं 29 माईन्स विभिन्न तकनीकि एवं वैधानिक स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण non-

operative होने का उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार कोडरमा जिले में कुल 121 पत्थर माईन्स की लीज स्वीकृत होने, जिसमें 56 माईन्स अस्थाई रूप से बंद होने का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार कोडरमा एवं हजारीबाग जिले में कुल 85 स्वीकृत माईन्स वर्त्तमान में तकनीकि कारणों एवं वैधानिक स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण non- operational होने का उल्लेख करते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया था, जिसे क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 135 दिनांक 14.01.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदित किया गया था।

प्रयोक्ता अभिकरण के आवेदन पर इस कार्यालय के पत्रांक 129 दिनांक 20.02.2020 द्वारा पुर्नविचार करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था। जिसके आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में पुनः पुर्नपरीक्षण कर प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2019 में हजारीबाग जिला में खनन पट्टों की संख्या 26 एवं कोडरमा जिला में 77 कुल 103 थी। जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग से प्राप्त District Survey Report (DSR) 2020 के अनुसार हजारीबाग जिला अन्तर्गत वर्तमान में कुल धारित खनन पट्टो की संख्या 20 है एवं जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के अनुसार कोडरमा जिला अन्तर्गत कुल 47 पत्थर खनन पट्टा स्वीकृत है। अतः एक वर्ष के अन्तराल ही दोनों जिला में 36 स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या कम हो जाने एवं निम्न तथ्यो का उल्लेख करते हुये प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

1. यह स्थल हजारीबाग जिले सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोडरमा जिला के सीमा पर घोर उग्रवाद प्रस्तावित क्षेत्र में अवस्थित है, जो पूर्व से भी अवैध खनन से प्रभावित है एवं आवेदित स्थल पर वृक्षों की संख्या भी नगन्य है। अतः आवेदित स्थल पारिस्थिकीय दृष्टिकोण (ecological aspect) से भी बहुत महत्वपूर्ण नही है।
2. यहॉ अवैध खनन स्थानीय उग्रवादियों सशस्त्र अपराधियों एवं स्थानीय राजनेताओं के संरक्षण में रात्रि में किया जाता है। जिसपर नियंत्रण पाना स्थानीय वन कर्मचारियों (01 वन क्षेत्र पदाधिकारी, 01 वनपाल एवं 04 वनरक्षियों) के लिए अत्यंत कठिन है।
3. इस पटटा की स्वीकृति से इस क्षेत्र में वन्यप्राणी आश्रयणियों के इको सेन्सीटीभ जोन में आने के कारण बन्द हुए खनन पटटों के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होगे।
4. सरकारी राजस्व की प्राप्ति होगी।

उपरोक्त के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त पत्र की (छायाप्रति सभी अनुलग्नकों सहित) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/—
प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 252 **दिनांक** 01.2.2021

प्रतिलिपि :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/मेसर्स रामचन्द्र मेहता वगैरह ग्राम बिघा पो0 फुलवरिया, जिला कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1.2.21